महेश जोगी

बनाम

राजस्थान राज्य

(2014 की आपराधिक अपील संख्या 2621)

16 दिसम्बर 2014

[न्यायमूर्ति फकीर मोहम्मद इब्राहिम कलीफुल्ला और न्यायमूर्ति अभय मनोहर सप्रे]

किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम, 2000 - धारा 2 (के), 15 - किशोर - अपीलकर्ता-अभियुक्त अपराध की तारीख को लगभग 17 साल और 4 महीने- 20.01.1985 - 2000 के अधिनियम के प्रारंभ होने से पहले अपीलकर्ता पर लगाई गई दोषसिद्धि और सजा -2000 के अधिनियम के तहत किशोर के रूप में लाभ के लिए पात्रता - माना गया: लाभ केवल अपीलकर्ता को दी गई सजा की सीमा तक होगा - इसलिए, दोषसिद्धि को बरकरार रखते हुए भी यह माना जाता है कि अपीलकर्ता एक किशोर था, जहां तक अपीलकर्ता को सजा देने का संबंध है, किशोर न्याय बोर्ड ने अधिनियम की धारा 15 के तहत उचित आदेश पारित करने का निर्देश दिया।

अजय कुमार बनाम मध्य प्रदेश राज्य (2010) 15 एससीसी 83; जितेंद्र सिंह उर्फ बब्बू सिंह और एक अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य (2013) 11 एससीसी 193 - पर भरोसा किया।

हरिराम बनाम राज्य राजस्थान (2009) 13 एससीसी 193; अबुजर हुसैन @ गुलजार हुसैन बनाम पश्चिम बंगाल राज्य 2012 (9) एससीआर 244: (2012) 10 एससीसी 489; याकूब अब्दुल रज्जाक मेमन बनाम महाराष्ट्र राज्य 2013 (13) एससीसी 1; हक्किम बनाम राज्य का प्रतिनिधित्व पुलिस उपाधीक्षक के माध्यम से किया गया जेटी (2014) 9 एससी 243 - संदर्भित।

केस कानून संदर्भ:

(2009) 13 एससीसी 193 पैरा 5 को संदर्भित

2012 (9) एससीआर 244 पैरा को संदर्भित 6

2013(13) एससीसी 1 पैरा को संदर्भित 6

जेटी (2014) 9 एससी 243 पैरा 6 में संदर्भित

(2013) 11 एससीसी 193 पैरा पर भरोसा किया 7

(2010) 15 एससीसी 83 पैरा 8, 10 पर भरोसा किया

आपराधिक अपीलीय क्षेत्राधिकार: 2014 की आपराधिक अपील संख्या 2621

फैसले से & 1986 के एसबी आपराधिक अपील संख्या 446 में जयपुर पीठ जयपुर में राजस्थान के लिए न्यायपालिका के उच्च न्यायालय का आदेश दिनांक 02.05.2013

अपीलकर्ता के लिए मोहन पांडे।

शिव मंगल शर्मा, अतिरिक्त महाधिवक्ता, अंकित शाह, श्रेय कपूर,

उत्तरदाता के लिए रुचि कोहली।

न्यायालय का आदेश सुनाया गया

आदेश

1. इस विशेष अनुमति याचिका में 20 तारीख को नोटिस जारी करने का आदेश देते हुए जनवरी, 2014 में इस तरह के नोटिस केवल इस सवाल तक सीमित थे कि क्या अपराध के समय याचिकाकर्ता किशोर था। हमारे अगले आदेश दिनांक 2 जुलाई, 2014 में याचिकाकर्ता के साथ-साथ प्रतिवादी-राज्य के वकील को सुनने के बाद, हमने अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, दौसा कैंप, जयपुर को यह पता लगाने के लिए जांच करने का निर्देश दिया कि क्या याचिकाकर्ता अपराध की तारीख यानी 20 जनवरी, 1985 को किशोर था। सत्र न्यायाधीश को निर्देश दिया गया कि वह याचिकाकर्ता को इस दावे के समर्थन में सभी आवश्यक सामग्री पेश करने का अवसर दें कि वह घटना की तारीख को किशोर था और उक्त प्रश्न का पता लगाने के लिए स्कूल अधिकारियों से आवश्यक दस्तावेज भी मांगे।

2. हमारे आदेश के अनुसार, विद्वान सत्र न्यायाधीश ने जांच करने के बाद दिनांक 16 अक्टूबर, 2014 को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है। उसके सामने रखी गई विभिन्न सामग्रियों के विस्तृत संदर्भ के बाद, विद्वान अतिरिक्तessions न्यायाधीश, दौसा कैंप, जयपुर, राजस्थान ने निम्नानुसार प्रस्तुत किया है: –

"इसलिए याचिकाकर्ता/अभियुक्त महेश जोगी पुत्र परसराम, जाति-जोगी, निवासी बगवाड़ा, थाना-आमेर, जिला जयपुर (राजस्थान) की आयु निर्धारित करते हुए आदेश पारित किया जाता है कि सत्र प्रकरण संख्या 18/86 (58/85) में राज्य बनाम महेश शीर्षक से याचिकाकर्ता/अभियुक्त की आयु 20.01.1985 को लगभग 17 वर्ष 04 माह थी। इसका मतलब है कि वह 16 साल की उम्र प्राप्त कर चुका था और इसलिए वह किशोर अपराधी नहीं है।

[अंतर्निहित हमारा है]

3. अपील की अनुमति दी गई।

4. विद्वान अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश की रिपोर्ट का अवलोकन करने के बाद, हम पाते हैं कि अपीलकर्ता की तारीख को लगभग 17 वर्ष और 4 महीने थी। यह घटना 20 जनवरी, 1985 की है। विद्वान अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश का निष्कर्ष कि चूंकि आरोपी-अपीलकर्ता 16 वर्ष से अधिक आयु का था, इसलिए वह किशोर नहीं था, सही नहीं है। इस न्यायालय ने कई निर्णयों में कहा है कि किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम, 2000 (इसके बाद इसे '2000 का अधिनियम' कहा जाता है) का क्या प्रभाव होगा। किशोर की आयु में संशोधन किया गया है जिसके द्वारा किशोर होने के लिए 16 वर्ष निर्धारित आयु को 2000 के अधिनियम के तहत 18 वर्ष के रूप में संशोधित किया गया था।

5. एक सवाल यह उठा कि 2000 के अधिनियम के लागू होने से पहले किसी अभियुक्त को कब दोषी ठहराया गया था, और बाद के चरणों में किशोर के रूप में उसकी स्थिति के बारे में दावा किया गया था कि क्या उसे संरक्षण या लाभ उपलब्ध कराए जा सकते हैं। 2000 के अधिनियम के लागू होने के आधार पर एक किशोर के रूप में। निर्णय में रिपोर्ट किया गया हरिराम बनाम राजस्थान राज्य (2009) 13 एससीसी 193, यह अंततः आयोजित किया गया था: -

" ..... एक किशोर जिसने अपराध होने की तारीख को अठारह साल पूरे नहीं किए थे, वह भी किशोर न्याय अधिनियम, 2000 के लाभों का हकदार था, जैसे कि धारा 2 (के) के प्रावधान 1986 के अधिनियम के संचालन के दौरान भी हमेशा अस्तित्व में रहे थे।

6. उक्त निर्णय का बाद में रिपोर्ट किए गए निर्णयों में पालन किया गया था अजय कुमार बनाम मध्य प्रदेश राज्य (2010) 15 एससीसी 83, अबुजर हुसैन @ गुइजार हुसैन बनाम पश्चिम बंगाल राज्य (2012) 10 एससीसी 489, जितेंद्र सिंह उर्फ बब्बू सिंह और एक अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य प्रदेश (2013) 11 एससीसी 193 और याकूब अब्दुल रज्जाक मेमन बनाम महाराष्ट्र राज्य 2013 (13) एससीसी 1. हम में से एक, माननीय न्यायमूर्ति फकीर मोहम्मद इब्राहिम कलीफुल्ला ने जेटी (2014) 9 एससी 243 शीर्षक में रिपोर्ट किए गए फैसले में हक्किम बनाम राज्य का प्रतिनिधित्व पुलिस उपाधीक्षक के माध्यम से किया

गया 2009 की आपराधिक अपील संख्या 1410 (तीन अपीलों में से एक) में एक दोषी के साथ व्यवहार करते समय उपरोक्त सिद्धांत का पालन करने का अवसर था। इसलिए, 2000 के अधिनियम के लागू होने के बाद, एक किशोर जिसने अपराध होने की तारीख को 18 वर्ष की आयु पूरी नहीं की थी, उक्त अधिनियम के लाभों का हकदार था।

7. उपर्युक्त कानूनी सिद्धांत को इस न्यायालय द्वारा उपर्युक्त संदर्भित निर्णयों में लगातार बनाए रखते हुए, जब हम अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश की रिपोर्ट पर विचार करते हैं, दौसा कैंप, जयपुर, राजस्थान, 20 जनवरी, 1985 को अपीलकर्ता केवल 17 वर्ष 4 महीने का था, इसलिए वह 2000 के अधिनियम के लाभ का हकदार था। चूंकि इस अपील में विशेष अनुमति के माध्यम से नोटिस जारी किया गया था, जिसमें इस सवाल को सीमित किया गया था कि क्या अपीलकर्ता किशोर के रूप में लाभ का हकदार था और एक निर्णय द्वारा जितेंद्र सिंह का केस (सुप्रा), यह स्पष्ट किया गया था कि इस तरह का लाभ केवल अपीलकर्ता को दी गई सजा की सीमा तक होगा, अपीलकर्ता पर लगाए गए दोष सिद्धि में हस्तक्षेप करने की कोई गुंजाइश नहीं है।

8. इसलिए, दोषसिद्धि की पुष्टि करते हुए भी हम मानते हैं कि अपीलकर्ता एक किशोर था और सजा देने के लिए उसी आधार पर निपटा जाना चाहिए। हम अजय कुमार के मामले (सुप्रा) में दिए गए फैसले में इस न्यायालय द्वारा जारी निर्देश का पालन करना चाहते हैं।

9. उक्त निर्णय के पैरा 6 को नीचे पुन: प्रस्तुत किया गया है:"

6. किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण नियम, 2007) का नियम 98 (इसके बाद इसे "किशोर न्याय नियम, 2007' कहा जाएगा) यह प्रक्रिया प्रदान करता है कि किसी किशोर के मामले, जो कानून का उल्लंघन कर रहा है, का निपटारा कैसे किया जाना चाहिए। इसे इस प्रकार पढ़ा जाता है:

"98. कानून का उल्लंघन करने वाले किशोरों के मामलों का निपटारा - सरकार या जैसा भी मामला हो, बोर्ड या तो स्वप्रेरणा से या इस उद्देश्य के लिए किए गए आवेदन पर, कानून के साथ संघर्ष करने वाले किसी व्यक्ति या किशोर के मामले की समीक्षा कर सकता है, इन नियमों के अधिनियम और नियम 12 में निहित प्रावधानों के तहत उसकी किशोरता का निर्धारण कर सकता है और कानून की धारा 64 के तहत संघर्ष में किशोर के हित में एक उचित आदेश पारित कर सकता है। उस कानून के साथ जिसकी हिरासत या कारावास की अवधि उक्त अधिनियम की धारा 15 में प्रदान की गई अधिकतम अवधि से अधिक हो गई है।"

10. उक्त निर्णय के आलोक में, अपीलकर्ता को किशोर न्याय बोर्ड के पास भेजा जाता है और दोषसिद्धि में हस्तक्षेप किए बिना उसे दी गई सजा को रद्द करते हुए, किशोर न्याय बोर्ड को अपीलकर्ता द्वारा दी जाने वाली सजा के संबंध में अधिनियम की धारा 15 के तहत उचित आदेश पारित करने का निर्देश दिया जाता है। उक्त कार्य किशोर न्याय बोर्ड द्वारा किया जाएगा। इस आदेश की प्रति प्राप्त होने की तारीख से एक महीने के भीतर अधिमानतः शीघ्रता से।

11. अपील का निपटारा उपर्युक्त शर्तों पर किया जाता है।

अपील निस्तारित।

इला देओल, एडवोकेट